:: कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला इन्दौर (म0प्र0) ::

क्रमांक/ 480 /री0ए0डी0एम0/लो.स.निर्वा./2019 इन्दौर, दिनांक 10 मार्च, 2019

:: आदेश ::

(अन्तर्गत धारा-18 कोलाहल नियंत्रण अधिनियम-1985)

लोक सभा आम निर्वाचन-2019 को दृष्टिगत् रखते हुवे निर्वाचन के दौरान प्रचार-प्रसार कार्य में लगे लाउडस्पीकर के अनियंत्रित उपयोग व तेज आवाज से आम जन की शांति भंग होती है तथा इस प्रकार होने वाले ध्वनि प्रदूषण से लोक प्रशांति को भंग होने से रोकने के लिए मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम-1985 की धारा-18 के अन्तर्गत आदर्श आचरण संहिता की अवधि के लिए सम्पूर्ण इन्दौर जिले की राजस्व सीमाओं को कोलाहल नियंत्रण क्षेत्र(साईलेन्स झोन) घोषित किया जाता है । उपरोक्त उल्लेखित अवधि में सक्षम अधिकारी की लिखित अनुज्ञा के बिना जिले में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबन्ध रहेंगा ।

मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम-1985 की धारा-2(ध) के अन्तर्गत इन्दौर जिले में पदस्थ अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार को उक्त अधिनियम के तहत सक्षम अधिकारी घोषित किया जाता है ।

ग्रामीण क्षेत्रों में प्रातः 6.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक तथा शहरी क्षेत्र(नगर निगम, नगर पालिका सीमा में) प्रातः 6.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक ही चुनाव सभाओं में लगने वाले लाउडस्पीकर और चुनाव प्रचार के वाहनों पर लाउडस्पीकर के उपयोग की अनुमति दी जा सकेंगी । किसी भी दशा में निर्धारित समय के उपरान्त अनुमति प्रदान नहीं की जा सकेंगी ।

वाहनों से चुनाव प्रचार की अनुमति आवेदन करने पर ही दी जा सकेंगी । वाहन से प्रचार करते समय अनुमति के साथ वाहन का पंजीयन रखना अनिवार्य होगा तथा बिना अनुमति लाउडस्पीकर/ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग या अनुमति में निर्दिष्ट अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात् लाउडस्पीकर/ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग करते पाये जाने की दशा में ध्वनि विस्तारक यंत्र एवं वाहन जप्त कर लिया जावेंगा तथा दोषी के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेंगी ।

(लोकेश कुमार जाटव)
जिला दण्डाधिकारी,
जिला इन्दौर.
District Magistrate
District Indore (M. P.)

पृ0क्रमांक/ 481 /री0ए0डी0एम0/लो.स.निर्वा./2019 इन्दौर, दिनांक 10 मार्च, 2019

प्रतिलिपि :-

1. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश निर्वाचन सदन, 17 अरेरा हिल्स, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह (पुलिस) विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
4. आयुक्त, इन्दौर सम्भाग, इन्दौर ।
5. पुलिस महानिरीक्षक, इन्दौर रेंज, इन्दौर ।
6. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला इन्दौर ।
7. आयुक्त, नगर पालिक निगम, इन्दौर ।
8. पुलिस अधीक्षक(मुख्यालय)/पूर्व/पश्चिम, जिला इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु । सभी थाना क्षेत्रों को निर्देशित कर, आदेश का पालन सुनिश्चित करवाने का कष्ट करें ।
9. अपर कलेक्टर, जिला इन्दौर(समस्त) ।
10. अति0 पुलिस अधीक्षक, पूर्व/पश्चिम क्षेत्र/महू/ग्रामीण इन्दौर ।
11. उप जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला इन्दौर ।
12. सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट, मल्हारगंज/राऊ/जूनी इंदौर /कनाड़िया/ भिचौली हप्सी/खुड़ैल/कम्पेल/डॉ0 अम्बेडकर नगर(महू)/हातोद/देपालपुर/सांवेर, जिला इन्दौर ।
13. नगर पुलिस अधीक्षक, सेन्ट्रल कोतवाली/परदेशीपुरा/सराफा/मल्हारगंज/अन्नपूर्णा/जूनी इंदौर /संयोगितागंज/विजय नगर/आजाद नगर/गांधी नगर/खजराना ।
14. अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस), डॉ0 अम्बेडकर नगर(महू)/सांवेर/देपालपुर ।
15. उप पुलिस अधीक्षक, जिला विशेष शाखा/मुख्यालय, इन्दौर ।
16. उप संचालक, जनसम्पर्क विभाग, इन्दौर ।
17. प्रभारी अधिकारी, एन0आई0सी0, कलेक्टोरेट, इन्दौर की ओर जिला प्रशासन की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।
18. प्रभारी अधिकारी, पुलिस कन्ट्रोल रूम, इन्दौर ।
19. थाना प्रभारी, थाना .... जिला इन्दौर ।

जिला दण्डाधिकारी,
जिला इन्दौर.
District Magistrate
District Indore (M. P.)